भारतीय समाज में वृद्धजनों की स्थिति की विवेचना

डॉ. अंजना वर्मा

सहायक आचार्य समाजशास्त्र
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर(राज.)

शोध सारांशः
इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्राचीनकाल में वृद्धों की स्थिति अत्यंत उन्नत एवं सम्मानीय रही है, उनका समाज एवं परिवार में अलग वर्चस्व था, पूरे परिवार की बागडोर उनके हाथों में हुआ करती थी । परिवार के सभी सदस्य उनकी सलाह व फैसलों को आधार मानकर काम करते थे। यही वजह थी कि प्राचीन समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे वे परिवार के सभी सदस्यों को एक धांगे में बाँध कर रखते थे।
परन्तु आज आधुनिकता की दौड़ में निरन्तर आगे बढ़ते हुये हम पारम्परिक संयुक्त परिवार की अवधारणा को प्रगति के चक्कर में भूलते जा रहे है अब परिवार की परिभाषा पति–पत्नी और बच्चों के संकुचित दायरे में सिमटकर रह गई है। शहरों में तो संयुक्त परिवार का ढाँचा पहले ही टूट गया है, लेकिन गाँव में भी बुजुर्गों के सामने अकेले रह जाने की स्थितियाँ दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण रोजगार, धन्धों की तलाश में ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर तेजी से होने वाला पलायन है। युवावस्था में स्वतंत्रता की आधुनिक चाह ने बुजुर्गों को एकाकीपन का अभिशाप अनजाने में दे दिया है। नई पीढ़ी नहीं चाहती कि उसे बड़े होने पर खासकर विवाह के बाद बडे–बुजुर्गों के साथ रहना पडे । अमीर हो या गरीब का बुढ़ापा अभाव का पर्यापवाची है। कोई रोटी का मोहताज है तो कोई छत का। किसी को अकेलापन कचोटता है, तो किसी को अपनों का तिरस्कार। कोई अपहित है तो कोई अपमानित और बेबस महसूस करता है। पैसे की कमी ही एक वजह नहीं है इसके साथ बदलते समाज के बदलते जीवन मूल्यों ने भी कई वृद्धों को समाज में हाशिए पर ला खड़ा किया है।

शब्द कुंजीः वृद्धावस्था, वृद्धों की स्थिति, कानूनी प्रावधान, समस्या ।

प्रस्तावना – परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जन्म से मृत्यु तक मानव का जीवन शारीरिक विकास की एक प्रक्रिया है, जो कुछ पूर्व निर्धारित चरणों से होकर गुजरता है ये चरण है– शैशवास्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवाअवस्था, व्यस्क या प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। जिसमें जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की प्रक्रिया तीव्र विकास या निर्माण की प्रक्रिया है, यह विकास, निमार्ण एवं संग्रहण का दौर है । युवाअवस्था से प्रौढ़ावस्था तक का दौर जैविक, सामाजिक व आर्थिक दृष्टियों से उत्पादन, दायित्व निर्वाह या जो कुछ पूर्व में संचित या संग्रहित किया गया है, उसे लौटाने या खर्च करने का दौर है।

वृद्धावस्था जीवन की प्रक्रिया का अंतिम चरण है यह शारीरिक एवं सामाजिक दृष्टि से मस का दौर है जिसमें व्यक्ति न केवल शारीरिक व मानसिक दृष्टि से कमजोर होता जाता है अपितु सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से शक्ति हीन व संदर्भहीन भी होता जाता है। किस आयु को वृद्धता पहचान का आधार माना जाये यह बहुत कुछ हद तक जीवन की गुणवत्ता व स्वास्थ्य की दशा पर निर्भर करता है। सामान्यतः इस अवस्था का प्रारंभ 60 वर्ष के बाद माना जाता है, वृद्धावस्था की प्रक्रिया अलग–अलग व्यक्तियों में अलग–अलग आयु में आरंभ हो जाती है फिर भी इसकी औसत आयु 60 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था में आयु वृद्धि के साथ–साथ व्यक्ति की शक्ति उसकी स्फीर्ति काम की गति कम हो जाती है। वैसे कई देशों में 65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति को वृद्ध कहा जाता है। जहाँ तक भारत का सवाल है हम इस बात को ध्यान में रख सकते है कि सरकार ने सेवानिवृत्ति की किस आयु का निर्धारण किया है अर्थात् किस आयु को पूरा करने पर वह कर्मचारी को शारीरिक व मानसिक दृष्टि से सेवा के लिए उपयोगी नहीं मानते हुये, उसे सेवानिवृत कर दिया जाए, और उसकी पिछली सेवाओं के उपलक्ष्य मे उसे अपने जीवनयापन को चलाने के लिये पेंशन दी जायें। इस आधार पर 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है।

सर्वे के अनुसार गाँव के लोग सेवानिवृत्तिाि जैसे सरकारी फलसफे के बारे भले ही नहीं सोचते, लेकिन आर्थिक तंगी का कसता शिकंजा, अकेलापन, भरणपोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, अपनों का निरस्कार, बुजुर्गों को वहाँ भी असुरक्षित और चिन्तित बनाता जा रहा है। युवावस्था में स्वतंत्रता की आधुनिक चाह ने बुजुर्गों को एकाकीपन का अभिशाप अनजाने में ही दे दिया है।

वृद्धावस्था में सम्मान संरक्षण और अपनत्व की चाहत प्रत्यक बुजुर्ग की होती है जो आमतौर पर पूरी नहीं होती है, कभी हरे–भरे परिवार का पालनहार रहा बुजुर्ग एकाकीपन से भी घबराता है।

अध्ययन पद्धति – यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है वर्तमान अध्ययन में वृद्धों की स्थिति व संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रीय नीतियों के विविध पक्षों से संबंधित है यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वितीयक स्त्रोत पर आधारित है। जिसके लिए अवलोकन अध्ययन स्त्रोत पत्र पत्रिकाओं व दस्तावेजों व पुस्तकों द्वारा लिया गया है। भारत में वृद्धों की स्थिति – दुनिया भर के प्रत्येक दस बुजुर्गों में से एक भारत में रहता है, आने वाले समय में किसी भी देश से बुजुर्गों की संख्या भारत के इस युवाओं वाले देश में ज्यादा होने वाली है कारण आधुनिकीकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया/जो मृत्युदर और जन्मदर गिरा रही है।

1990 के दशक के बाद भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी है। जनगणना आकलन में बुजुर्ग लोगों की संख्या वृद्धि एक सार्वधिक घटना है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। 1961 में वृद्धों और वृद्धाओं की संख्या ढाई करोड़ के आस–पास थी, जो बढ़कर 1991 में (5.7 करोड़) पांच करोड़ तक पहुंच गई जो 2001 में बढ़कर 7.20 करोड़ हो गई। बुजुर्गों की यह संख्या सन् 2021 तक 14 करोड़ के आस–पास हो चुकी है। 2030 तक बढ़कर 19.8 करोड़ के आस–पास होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

आधुनिकता समाज ने सामुदायिकता की भावना समाप्त कर दी है तथा जो नए आधुनिक समुदाय विकसित हो रहे है, उनकी मानवीयता उत्पादन और उपभोग के सिलसिले में कंसी हुई है।

भारतीय समाज में भी भू–मण्डलीयकरण की प्रक्रिया जल्दी ही उसके बुजुर्ग को पश्चिमी जगत जैसी स्थिति में पहुँचा देगी। 21वीं सदी में वृद्धों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है, भारत एवं चीन जो कि विश्व की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा रखते है, इनमें भी बेहतर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा के चलते वृद्धों की जनसंख्या में बेहताश वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वृद्धजनों की संख्या 10.38 करोड़ है।

जनगणना सूचांक के आधार पर – भारत में बुजुर्गों की संख्या 1951 में एक करोड़ 96 लाख थी यह संख्या कुल आबादी का 5.43 थी। यह सन् 1961 में बढ़कर 2 करोड़ 47 लाख से ज्यादा हो गई।

1971 में 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की संख्या 3 करोड़ 27 लाख और 1981 में यह बढ़कर 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा हो गई। इसी तरह बढ़ोत्तारी 1991 में भी देखने को मिली तक इन बुजुर्गों की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 66 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। 2001 में कुल बुजुर्ग 7 करोड़ 66 लाख 60 हजार हो गए। 2011 तक यह संख्या बढ़कर 11 करोड़ 26 लाख तक हो गई। यह कुल आबादी का करीब 9 प्रतिशत थी। 2021 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 14 करोड़ होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए आकलन के द्वारा यह संकेत मिलता है कि भारत में अनुमान सन् 2030 में 60 से अधिक आयु के व्यक्ति 19.8 करोड़ 2050 में 32.6 करोड़ होगे। सामान्य आबादी की तुलना में बुजुर्गों की आबादी दोगुने के ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। सामान्य जनसंख्या 17.8 प्रतिशत की दर से तो बुजुर्गों की संख्या 10 साल में 38. 5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

उपरोक्त ऑकंड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कुल आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के प्रतिशत में निरतंर वृद्धि हुई है। अतः वृद्धजनों की निरंतर बढ़ती संख्या आज एक सामाजिक जबावदेही के रूप में चुनौती बनकर दस्तक दे रही है, जिस पर व्यापक रूप से गहन चिंतन करने की आवश्यकता है।

सन् 1951–60 के बीच की जीवन प्रत्याशा जन्म के समय 42 वर्ष थी जो सन् 2011 से बढ़कर 67 वर्ष तक पहुंच गई। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 60 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गो की संख्या करीब पौने आठ करोड़ थी, जो अब निश्चय ही बढ़ चुकी है। एक सर्वे के अनुसार उस समय उनमें से 85 लाख बुजुर्ग अपने घरों में लगभग अकेले रह रहे थे। परिवार का कोई सदस्य उनके साथ नहीं रहता था। इस प्रकार 21वीं सदी के भारत में बुजुर्गों से जुड़े ऑकड़ों में जो तस्वीर उभर रही है वह बहुत निराशाजनक है।

सन् 1991 में कुल आबादी का 63 प्रतिशत 60–69 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का था। इन लोगों को अक्सर 'अपेक्षाकृत कम वृद्ध' या वृद्ध का दर्जा दिया गया। 80 वर्ष एवं ऊपर के 11 प्रतिशत वृद्ध थे जिन्हें 'वयोवृद्ध' या 'अतिवृद्ध' की श्रेणी में रखा गया। ये ऑकंडे वस्तुतः हमारे देश की व्यापक मानव संसाधन निधि के परिचायक है।

भारत में आने वाले दिनों में बुजुर्गों, खासकर महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय होने की आशंका है। जिन वृद्ध महिलाओं के पत्तियों का देहान्त हो जाता है, उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। भारत में वृद्धों के लैंगिक अनुपात में स्त्रियों की संख्या 51 प्रतिशत है और इनमें से करीब 64 प्रतिशत महिलाएँ विधवा है, जबकि पुरुष बुजुर्गों में केवल 19 प्रतिशत लोग पत्नीविहिन है। अगर 70 साल के ऊपर के आयु वर्ग में देखा जाए तो उसमें 80 प्रतिशत विधवाएँ मिलेंगी और पत्नीविहिन पुरुषों की संख्या 25 प्रतिशत के आस–पास होगी। विधवा होते ही एक बूढ़ी महिला तीन तरह के संकटो का सामना करने लगती है। वह स्त्री होने के नाते तो पहले से उत्पीड़ित थी ही, वृद्ध विधवा होने के नाते भी कई तरह के भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक महिला बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 21 प्रतिशत हो जायेगी, तब बुजुर्ग महिलाओं की संख्या पुरूषों से ज्यादा होगी।

सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के अनुसार अभी दुनिया में हर दस में सक एक व्यक्ति 60 साल से ज्यादा उम्र का है, अनुमान है कि 2050 तक हर पांचवा और साल 2150 तक दुनिया की एक–तिहाई आबादी बुजुर्गों की होगी । औसत आयु बढ़ने

से 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। विकासशील देशों में इनमें 74 प्रतिशत आबादी गॉवों और 37 प्रतिशत शहरों में रहती है। अभी भी कुल बुजुर्गों में अधिसंख्या (65 प्रतिशत) महिलाएँ है।

वृद्धजनों की समस्याऐं व समाधान – वृद्धावस्था जीर्ण–शीर्ण काया का पर्याय है इसीलिए इसे रोगों शारीरिक व्याधियों और कष्टों का केन्द्र माना जाता है, वास्तव में बुढ़ापा स्वयं एक बीमारी है, उम्र बढ़ने के साथ–साथ कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है भरण–पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है यही निर्भरता वृद्धों की समस्याओं की पूल है, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित इस अवस्था में शारीरिक कमजोरी, तालमेल नहीं बैठा पाना समस्याओं को बंधती है– आये देखे कि वृद्धों की समस्याऐं क्या है–

1. शारीरिक दुर्बलता
2. मानसिक रोग व तनाव
3. स्वास्थ्य समस्या
4. आर्थिक असुरक्षा की स्थिति
5. संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या/संयुक्त परिवार का विघटन
6. उचित देखभाल की समस्या
7. नई पीढ़ी से सामंजस्य का अभाव
8. आधुनिक परिवेश असहनीय

(1) शारीकि दुर्बलता – जैसे–जैस आयु बढ़ती है व्यक्ति का शरीर शिथिल होने लगता है, उसकी इंद्रियां कमजोर हो जाती है, कार्य करने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। कभी–कभी अपने रोजमर्या के कार्य को करने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ता है।

(2) मानसिक रोग व तनाव – शारीरिक बदलाव होने पर मानसिक परिवर्तन होना संभव है जिससे मानसिक तनाव की स्थिति बनने लगती है। बुढ़ापे में पति व पत्नी को एक दूसरे का सहयोग होता है, किसी एक के निधन उपरान्त दूसरे को मानसिक पीड़ा होना लाजमी है। यही अकेलापन मानसिक रोग व तनाव को उत्पन्न करता है।

(3) स्वास्थ्य की समस्या – शारीरिक बदलाव से मानसिक बदलाव भी होता है इस अवस्था से स्वास्थ्य की समस्या भी बन जाती है जिस वजह से अपने ही लोगों से संपर्क नहीं कर पाते है।

(4) आर्थिक असुरक्षा की स्थिति– यह समस्या सभी वृद्धों जी महत्वपूर्ण समस्या है, अपने जीवनसाथी के निधन के बाद बच्चों के उपर निर्भर होकर रहना, छोटी–छोटी वस्तुओं चीजों के लिए बच्चों पर निर्भरता ही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। युवा वर्ग इसे समझ नहीं पा रहा है। बुजुर्ग अपने को असुरक्षित महसूस करते है।

(5) संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या – आधुनिकता की दौड़ से संयुक्त परिवार की अवधारणा समाप्त होती जा रही है। जिसके अभाव में बुजुर्ग जनों को संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। वृद्धजन संयुक्त परिवार में वृद्धावस्था, बीमारी आदि के समय सुरक्षित महसूस करते है; परन्तु आज की एकाकी परिवार में व्यक्ति वृद्धजनों की सेवा भूलता जा रहा है।

(6) उचित देखभाल की समस्या– संयुक्त परिवार के विघटन होने से अर्थात् परिवार में सदस्यों की कमी के कारण बुजुर्ग लोगों की उचित देखभाल करने में कठिनाई आती है। एकाकी परिवार की स्थिति में जब परिवार के सदस्य घर पर नहीं होते है तो बुजुर्ग की देखभाल में दिक्कत आती है। (7) नई पीढ़ी से सामंजस्य का अभाव – आधुनिकता की होड में भागते हुए युवा पीढ़ी की सोच काफी बदल गई है। युवा अपने कार्यों में बुजुर्गों का हस्तक्षेप नहीं चाहते है । परन्तु बुजुर्गों अपने अनुभव उनके कार्यों में या दिनचर्या में हस्तक्षेप करते है वो युवा वर्ग बुरा मानते है। यही कारण युवा पीढ़ी और बुजुर्गों की सोच में सामंजस्य का अभाव दिखता है जो कि काफी समस्या है।

(8) आधुनिक परिवेश असहनीय– आज की पीढ़ी की सोच, पहनावा रहन–सहन, खान–पान काफी बदल चुका है, जिसके कारण परिवार में रहने वाले बुजुर्गों को यह पंसद नहीं आता है। आधुनिक परिवेश को सहन करना बुजुर्गों के लिए काफी मुश्किल होता है।

वृद्धों की समस्याओं के समाधान के लिए निम्न समाधान किये जा सकते हैः

1. भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था वृद्धों को सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक सुरक्षा प्रदान करती रही है, इसलिए संयुक्त परिवार के विघटन को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए।
2. वृद्धों की मानसिक रोग व तनाव को कम करने के लिए स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए ।
3. वृद्धों के लिए पारिवारिक माहौल की व्यवस्था की जाना चाहिए। इसके लिए वृद्ध होम, वृद्ध सदन एवं पालना घरों को मिलाकर एक ही स्थान पर संचालित करने की योजना सरकार द्वारा की जानी चाहिए। जिसमें वृद्धजनों को बच्चों की गतिविधियों का आन्नद मिल सके। वे जीवन का सम्पूर्ण आन्नद ले सकें।

4. युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच की खाई को बाटा जा सकता है, युवाओं को बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, साथ ही बुजुर्गो को भी युवा पीढ़ी को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि वे उनकी जिदंगी में रोकाटोकी कम कर दे तो स्थिति संभाली जा सकती है।
5. बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है सबकों पेंशन नहीं मिल पाती, अतः सरकार द्वारा एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बेटे – बहु व्दारा अपनी वेतन में से कुछ हिस्सा अपने माता–पिता के खाते में जमा कर सकें। ऐसा करने से बेटे अपनी जिम्मेदारी व दायित्व को भी समझ सकेंगे। इस प्रकार आर्थिक स्थिति में सुधार आ पायेगा।

संवैधानिक प्रावधान– भारत के संविधान में वृद्धजनों के कल्याण का प्रावधान है, राज्य के नीति निर्देशित तत्व के अनुच्छेद 41 में वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा में विशेष रूप से संबद्ध है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास को ध्यान में रखते हुए वृद्धजनों हेतु सरकारी सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी है जो राज्य को निर्देशित करते है कि वह अपने नागरिकों के जीवन में गुणात्मक सुधार लायें।
हमारे संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके प्रावधान वृद्धों के लिए भी प्रभावी है और सामाजिक सुरक्षा का दायित्व राज्य एवं केन्द्र सरकारों पर समान रूप से है। संविधान में अनुसूची 7 की सूची प्प में प्रविष्टि 24 में भी वृद्धावस्था पेंशन पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सूची के मद सं. 9 तथा समवर्ती सूची की मद सं. 20, 23 तथा 24 वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा तथा आर्थिक एवं सामाजिक बीमा तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना से संबंधित है।
वृद्धों की विभिन्न समस्याओं के लिए कई कानूनी प्रावधान है, लेकिन समूचे देश में बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार और उनके प्रति बढ़ रही उपेक्षा के कारण ये कारगर नहीं दिखते, इसलिए सन् 2004 में उच्चतम न्यायालय को फैसला देना पड़ा कि वृद्ध माता–वृद्ध माता–पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पुत्र–पुत्री पर एक समान है।
वृद्ध नागरिकों के लिए नए प्रावधानों में विशेषतः आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, बेहतर आहार, आश्रम, शिक्षा कल्याण और अचल सम्पत्ति संबधी सुरक्षा की पड़ताल भी की गई है।
विगत दो दशकों में वृद्धजनों की दशा पर जनांकिक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव जैसे मुद्दे पर गहन विचार विमर्श एवं वाद––विवाद हुए है। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों को समय–समय पर वृद्धजनों के लिए नीति बनाकर उसके अनुसार कार्यक्रम चलाने के लिए उत्साहित करता रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1991 में वृद्धजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र नीति अपनायी गई है। 1992 में महासभा द्वारा वृद्धावस्था पर एक घोषणा पत्र एवं सन् 2001 के लिए वृद्धावस्था पर वैश्विक लक्ष्य जैसे कार्यक्रम बनाए गए। अन्य कई कार्यक्रम बनाए गए। समय–समय पर वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में वर्षों से मांग उठायी गई जिसके आधार पर सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया जिसमें आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, देखभाल, आवास, पेंशन जैसी सभी विषयों को शामिल किया गया।
वृद्धों की राष्ट्रीय नीति – वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा जनवरी 1999 में की गई थी। यह नीति वृद्धजनों को आश्वासन देती है कि उनकी चिंताएँ राष्ट्र की समस्या है। उन्हें असुरक्षित जिन्दगी नहीं बितानी होगी। वे तिरस्कृत नहीं होगें। इस नीति का लक्ष्य वृद्धजनों का कल्याण है। इसका उद्देश्य समाज में इन लोगों की वैद्य स्थिति को मजबुत बनाना है और इनकी जिन्दगी के अंतिम पढ़ाव पर इन की जिन्दगी को उद्देश्यपूर्ण, सम्मानजनक एवं शांतिपूर्ण बनाना ।
राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की मुख्य विशेषताएँ– सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धजन नीति तैयार की है जो वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित सभी पहलुओं को समाहित करने के लिए वर्ष 1999 में घोषित की गई थी। इस नीति की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है –
1. वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ और पोषण, आश्रम, सूचना आवश्यकता, उचित रियायत और छूट आदि प्रदान किया जाना ।
2. वृद्धजनों के जीवन और सम्पत्तिाि की रक्षा जैसे विधिक अधिकारों की रक्षा करने और सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना ।
3. 60 + आयु के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक के रूप में अभिनिर्धारित करना।

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति को कार्यान्वित करने वाला तंत्र – राष्ट्रीय वृद्धजन नीति से पहले राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद् का गठन किया गया। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के पैरा 95 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 10 मई 1999 को एनसीओपी का गठन किया था। एनसीओपी वृद्धजनों के कल्याण नीति और कार्यक्रम तैयार करने तथा क्रियान्वित करने में सलाह देने तथा सरकार के साथ समन्वय करने के लिए शीर्षस्थ संस्था है। एनसीओपी को 2005 को में पुनर्गठित किया गया था इस समय इसकी संख्या 63 है। 18 अक्टूबर 2002 और 7 फरवरी 2003 को हुई परिषदों की बैठकों में आए सुझावों से इसे गति मिली। परिषद् का जोर विशेषकर इन बिन्दुओं पर ज्यादा होगा–

1. वृद्धजन 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति का माना गया है।

2. वित्तिय सुरक्षा के तहत टैक्स में लाभ प्रदान करने के साथ ही उच्च दरों पर ब्याज दिलाया जाता है।
3. ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों में इनके धन को दीर्घ कालीन बचत खाते में सुरक्षित रखने का मौका दिया जाता है।
4. विस्थापित वृद्धजनों के लिए पेंशन, भविष्य निधि और अन्य योजनाओं से जुड़े लाभ को शीघ्र उपलब्ध कराना।
5. वृद्धजनों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के वास्तें प्राथमिकता स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को बेहतर बनाना।
6. अस्पताल कर्मियों को प्रशिक्षित करना।
7. बुढ़ापे में स्वस्थ्य जीवन गुजारने के उपाय करना।
8. वृद्धजनों की सेवा संबंधी सामग्रियों के उत्पादन और वितरण के कार्यों से सम्बद्ध सोसायटियों को सहायता पहुंचाना।
9. ऐसे वृद्धजन की विस्थापित और समाज से पूरी तरह काट दिए गये। वृद्धजनों को भी शामिल करना और उनके लिए आवास सुविधाओं में से 10 प्रतिशत व्यवस्था करना ।
10.

वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति के मुख्य बिन्दु है :

1. बुढापे के दौरान वृद्धजन स्वयं अपनी और पत्नी के कल्याण के लिए पुख्ता इंतजाम करें, जिसके लिए सरकार भी उन्हे प्रोत्साहित करेगी।
2. परिजन अपने वृद्धजन की उचित देखभाल करें।
3. इस नीति की परिकल्पना में राज्य वृद्धजनों की आर्थिक स्वास्थ्य की देखरेख आवास, कल्याण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण सहयोग करेगा। शोषण और दूर्व्यवहार से भी बचाएगा।
4. स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठनों को सक्षम बनाया जाएगा। वृद्धजन के स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी।
5. वृद्धजनों को आवश्यक सुविधाएँ दी जाएगी।
6. वृद्धजनों को स्वयं अपनी देखभाल के लिए जागरूक किया जाएगा।
7. उनकी क्षमता के विकास के अवसर जुटाकर उन्हे इससे सहभागी बनाया जायेगा और उन्हे सेवा करने का अवसर देकर उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करेगा।
8. वृद्धजनों व वरिष्ठ नागरिकों को सेवा प्रदान करने में जो कार्यकत्ताऐं है उन्हें अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
9. राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की परिकल्पना में राज्य, वृद्धजनों की आर्थिक स्वास्थ्य की देख–रेख आवास कल्याण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण सहयोग करेगा उन्हे शोषण एवं दुर्व्यवहार से बचायेगा, उनकी क्षमता के विकास के अवसर जुटाएगा, उन्हें सहभागी बनाना, उन्हे सेवा का अवसर देकर जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करेगा।

यह नीति यह मानती है कि वृद्धजन लोग भी महत्वपूर्ण व लाभदायक है, ये परिवार में और बाहर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है । नीति यह मानती है कि बुजुर्ग कोई वस्तु नहीं है अगर उन्हें भी समूचित अवसर प्रदान किया जाएगा तो वे भी प्रभावी तरीके से परिवार को मदद कर पायेगें।

नीति में यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि बुजुर्ग को अधिकार देने से वे अपने जीवन को अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकेंगे।

उपसंहार – हमें वृद्धों के प्रति सही दृष्टिकोण, वृद्धों की जरूरतों एवं उनके जीवन को ध्यान में रखकर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऐसे सामाजिक तंत्र को विकसित करना होगा जो वृद्धों की देख–रेख बिना एक दूसरे पर आक्षेप लगाकर कर सकें। महत्वपूर्ण यह है कि केवल कानून बना देने से बुजुर्गों का भला होने वाला नहीं है। अगर हमें बुजुर्गों को खुश देखना है तो हमें आधुनिकता की मारामारी के बीच बुजुर्गों के प्रति सेवा भावना का परिचय देना ही होगा। हमारे संस्कार तो यह ही बताते है कि बच्चे का फज होता है कि अपने माता–पिता की सेवा करने की जिम्मेदारी समझे यह हमारा नैतिक दायित्व भी है।

वास्तव में समाज में आ रहे परिवर्तनों से बुजुर्गों के प्रति व्यवहार तय हो रहा है। जब संयुक्त परिवार था, तब किसी को दिक्कत नहीं थी। आज आर्थिक कारणों ने एकल परिवार को जन्म दे डाला है। जो युवा दम्पत्ति नौकरी कर रहे है, उनके अपने माता–पिता की सेवा के लिए समय नहीं है।

हमें समाज में यह चेतना जगानी होगी कि वृद्ध हमारी जिम्मेदारी नहीं आवश्यकता है, वे जीवन के अनुभवों के खजाने है, जिन्हे सहेजकर रखना हर समाज एवं संस्कृति का धर्म एवं नैतिक जबावदारी है।

वृद्धावस्था को सम्मानपूर्वक एवं शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने की आकांशा रखनी चाहिए उसके ही संतुष्ट रहना चाहिए न की अपनी प्रत्येक इच्छापूर्ति के लिए जददोदहद करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. बुजुर्ग लोगों के अधिकार – राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम – 2013, प्रकाशन – फरीदकोट हाऊस कापर निक्स मार्ग, नई दिल्ली।
2. राय सत्येद्रनाथ – 2016 वृद्धावस्था में सुखी जीवन, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. अग्रवाल गिरिराजशरण (2004) वृद्धावस्था की कहानी प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली।
4. सिंधाल वीनीता (2014) वृद्धावस्था नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली।
5. प्रसाद चंद्र मौलेश्वर (2016) वृद्धावस्था विमर्श परिलेख प्रकाशन नजीबाबाद।